परिपत्र

पत्रांक आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/वाणिज्य कर/देहरादून/2009–10

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक :: देहरादून :16 मई '09

**समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर**
**समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर**
**समस्त वाणिज्य कर अधिकारी**

विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से वापसी की धनराशि के विलम्ब से दिये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में विलम्ब की अवधि के लिये नियमानुसार देय ब्याज की अदायगी किये जाने सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अभी भी मुख्यालय स्तर पर इस सम्बन्ध में शिकायतें मिल रही हैं। विलम्ब की अवधि के लिये देय ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में भी अधिकारियों में भ्राँतियाँ हैं। विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें आदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये हैं किन्तु ब्याज की गणना 01–10–2005 अर्थात उस तिथि से जब से वैट अधिनियम लागू हुआ है, के बाद की अवधि के लिए की जानी है। यह गणना किस दर से की जायेगी, इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति स्पष्ट होते हुये भी अनावश्यक रूप से ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में गतिरोध बना हुआ है।

व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न मदों में ब्याज की दर निम्न प्रकार रही है :–

स्वीकृत कर पर :–

(1) दिनांक 04–08–2004 तक — 24 प्रतिशत वार्षिक
(2) दिनांक 05–08–2004 से 30–09–2005 तक — 14 प्रतिशत वार्षिक

कर निर्धारण के फलस्वरूप निकाली गई माँग(स्वीकृत कर से भिन्न) :–

(1) दिनांक 04–08–2004 तक — 18 प्रतिशत वार्षिक
(2) दिनांक 05–08–2004 से 30–09–2005 तक — 12 प्रतिशत वार्षिक

रिफन्ड विलम्ब से दिये जाने पर :–

(1) दिनांक 04–08–2004 तक — 18 प्रतिशत वार्षिक
(2) दिनांक 05–08–2004 से 30–09–2005 तक — 12 प्रतिशत वार्षिक

दिनांक 01–10–2005 से वैट अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर ब्याज की दर निम्न प्रकार है :–

(1) स्वीकृत कर पर — 15 प्रतिशत वार्षिक
(2) निकाली गई माँग(स्वीकृत कर से भिन्न) — 09 प्रतिशत वार्षिक
(3) रिफन्ड विलम्ब से दिये जाने पर — 09 प्रतिशत वार्षिक

व्यापार कर से सम्बन्धित ऐसे मामले जिनमें ब्याज की गणना 01–10–2005 के बाद की अवधि के लिए होनी है, के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–80 की उपधारा–(6)–में निम्न प्रावधान किये गये हैं :–

–2–

" इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन किसी विक्रय या कर के सम्बन्ध में उनके अधीन निर्धारित कोई कर या आरोपित कोई अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत देय होगा और वसूल किया जायेगा। इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के पूर्व की अवधि के लिए देय ब्याज की धनराशि का भुगतान और वसूली निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और ऐसी तारीख को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा और ऐसी तारीख को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका भुगतान किया जायेगा और वसूल किया जायेगा। "

वैट अधिनियम की धारा 81 की उपधारा–(6)–का खण्ड (ख) निम्न प्रकार है :–

" इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व की अवधि के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निसित अध्यादेश के अधीन देय कोई कर, फीस, अर्थदण्ड, ब्याज या अन्य धनराशि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विहित रीति से भुगतान की जायेगी और वसूली की जायेगी मानो कि यह अधिनियम उस अवधि में प्रवृत्त था।

वैट अधिनियम की धारा 81 की उपधारा–(7)–निम्न प्रकार है :–

" कर, ब्याज, अर्थदण्ड, फीस और अन्य धनराशि की समस्त बकाया जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर देय थी, चाहे प्रारम्भ होने से पहले निर्धारित या आरोपित किय गया था अथवा प्रारम्भ होने के बाद निर्धारित या आरोपित किया गया हो, वसूल की जा सकती है मानों कि ऐसा कर, अर्थदण्ड, ब्याज, फीस और अन्य धनराशि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्धारित या आरोपित की गई हो और इस अधिनियम में उपबन्धित वसूली के सभी तरीके जिसमें ब्याज, अर्थदण्ड का आरोपण या अभियोजन भी सम्मिलित है, इस प्रकार की बकाया पर लागू होंगे मानो कि ऐसी धनराशियां इस अधिनियम के अधीन निर्धारित, आरोपित और माँगी गई थी। "

उक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि किसी भी मामले में ब्याज की गणना में, चाहे मूल कार्यवाही पूर्ववर्ती निरसित उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948(यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त)के अन्तर्गत की गयी हो, के सम्बन्ध में 01–10–2005 के बाद की अवधि के लिए भुगतान व वसूली की कार्यवाही वैट अधिनियम के अनुसार होगी। अतः किसी भी धनराशि पर 01–10–2005 के बाद की अवधि के लिए ब्याज की गणना वैट अधिनियम–2005 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

अतः उक्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(एल0एम0 पन्त)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पृ0प0सं0 567 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2—महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
3—अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
4—एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
5—एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6—समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7—ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
8—ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।
9—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करे।
10—श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 2/5 आर्शीवाद इनकलेव देहरादून।
11—पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूडकी।
12—संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दे।
13—इन्टावैट ईन्फो प्रा0 लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर0 सिंघुआ मार्ग मुम्बई—400001।
14—नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़ गाजियाबाद।
15—नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।
16—लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रट कम्पाउण्ड़ राजनगर गाजियाबाद।
17—डिप्टी कमिश्नर (उ0न्याय0कार्य) वाणिज्य कर नैनीताल।
18—दी होलसेल डीलर्स एसो0 14, आढ़त बाजार देहरादून।
19—कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
20—विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त कर 16/5/2009
उत्तराखण्ड़, देहरादून।